



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08032021-225705
CG-DL-W-08032021-225705

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06] नई दिल्ली, फरवरी 21, —फरवरी 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 2— फाल्गुन 8, 1942
No. 06] NEW DELHI, FEBRUARY 21, —FEBRUARY 27, 2021, SATURDAY/PHALGUNA 2 —PHALGUNA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

आ.अ. 12.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो तालिका के स्तंभ (3) में अपने नाम के सामने निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेश के अन्तर्गत यथापेक्षित रीति जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है, से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	5- सीकर	श्री भगवान सहाय, बाई का बास, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
2.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	5- सीकर	श्री अंकुर शर्मा, 6, न्यू अरविन्द नगर, उत्तरी सुन्दरवास उदयपुर (राज0)	विधि अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
3.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	09-भरतपुर	श्री तेजवीर सिंह, म0 न0-142, गिराई लाईन पुलिस, भरतपुर	विधि अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
4.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	12-टोंक सवाईमाधोपुर	श्री मुकेश कुमार, वार्ड नं. 18, पशु चिकित्सालय के पास, एजेन्सी एरिया, देवली, जिला टोंक	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
5.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	12-टोंक सवाईमाधोपुर	श्रीमती प्रेम लता बंशीवाल, बडा बेडा वार्ड न. 24 टोंक (राज.) हाल R/o मकान न. A1/278 पश्चिमी विहार दिल्ली	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।

[फा. सं. 76/राज.-लो.स./2019]

आदेश से,

राहुल शर्मा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 19th February, 2021

O.N. 12.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2019 as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order: -

TABLE

Sr. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidate	Reasons for disqualification
1.	2.	3.	4.	5.
1.	General Election to the Lok Sabha, 2019	05-Sikar	Sh. Bhagwan Sahay, Bai Ka Bas, Tehsil-Chomu, Distt.-Jaipur.	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	05-Sikar	Sh. Ankur Sharma, 6, New Arvind Nagar, North Sunderwas Udaipur (Raj.)	Failure to lodge account of election expenses in the Manner as required by law.
3	-do-	09- Bharatpur	Sh. Tejveer Singh, House No. 142, Giraie Line Police, Bharatpur.	Failure to lodge account of election expenses in the Manner as required by law.
4	-do-	12- Tonk-Sawai madhopur	Sh. Mukesh Kumar, Ward No. 18, Opp. Pashu Chikitsalaya Agency Area, Deoli, Dist. Tonk.	Failure to lodge account of election expenses.
5	-do -	12- Tonk-Sawai madhopur	Smt. Prem Lata Banshiwal, Bada Bada Ward No. 24 Tonk (Raj.) Per. R/o House No. A1/278 Paschimi Vihar Delhi.	Failure to lodge account of election expenses.

[F. No. 76/RJ-HP/2019]

By Order,

RAHUL SHARMA, Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

आ.अ.13.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 2019 की निर्वाचन अर्जी संख्या 8 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 18 जनवरी, 2021 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

(संलग्न निर्णय के लिए अंग्रेजी देखें)

[फा.सं. 82/उ.प्र.-लो.स./8/2019(इला.)]

आदेश से,

पुष्पा एन. लकड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

O.N. 13.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18th January, 2021 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 8 of 2019.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 8 of 2019.

(Under Section 80/80A/81 of Representation of the Peoples Act, 1951)

DISTRICT-AGRA.

Ramji Lal Vidyarthi son of Shri Shripal Vidyarthi, R/O 38/58 A, Idgah,
Katghar, Police Station Rakabganj, City and District Agra.

.....**Petitioner.**

Versus

1. Satyapal Singh Baghel @ Prof. S.P. Singh Baghel son of Shri Ram Bharose Dhangar, R/O 44 MIG, New Shahaganj, Saket Colony, City and district Agra.
2. Preeta Harit wife of Shri Anil Kant, R/O K 12, Block K, Green Park Extension, New Delhi.
3. Manoj Kumar Soni son of Shri Lala Ram Soni, R/O 26, P.P. Nagar, Sikandra, police station Sikandra, Tehsil Sadar, District Agra.
4. Chandrapal son of Shri Beni Ram, R/O B-505, Kamla Nagar, Block B-2, City and District Agra.
5. Raj Balmiki son of Shri Raj Kumar, R/O 26/362, Bala Charan Singh, Nai Abadi, Gokulpura, Kans Gate, Police Station- Loha Mandi, Agra.
6. Himanshi daughter of Shri Rajendra Prasad, R/O House Number 30/31, Phase-1, Lakshmi Palace, Ram Vihar Colony, Devri Road, Agra.
7. Ambedkari Hasanuram Ambedkari son of Shri Harigyan Singh, R/O Village Ramnagar, Majra Nagla Dulhe Khan, Post Rasulpur, Kheragarh, Agra.
8. Babulal son of Shri Samanta Ram, R/O 66/ 31/ 1, Nagla Kheria, Jagner Road, Agra.

.....**Respondents.**

Court No. - 52

Case :- ELECTION PETITION No. - 8 of 2019

Petitioner :- Ramji Lal Vidyarthi

Respondent :- Satyapal Singh Baghel @ Prof. S.P. Singh Baghel And 7 Others

Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar Gupta

Counsel for Respondent :- Sushil Kumar Srivastava, Jayendra Kumar Mishra, Sharad Kumar

Hon'ble Om Prakash-VII, J.

Case called out.

Neither petitioner in person nor his counsel is present in the revised call.

Sri Sushil Kumar Srivastava, learned counsel for the respondent no. 1 and Sri Vijit Saxena, learned counsel for the respondent no. 3 are present.

This Election Petition is dismissed for want of prosecution.

Order Date:- 18.1.2021

sd/-

Om Prakash-VII, J.

[F.No. 82/UP-HP/ 8 /2019(Alld.)]

By Order,

PUSHPA N. LAKRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 14.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 04—शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मुकेश कुमार झा, जो बिहार के 04—शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मुकेश कुमार झा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मुकेश कुमार झा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मुकेश कुमार झा द्वारा 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं० 54/जि०नि०, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 72/जि०नि० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मुकेश कुमार झा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग बासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04—शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार झा, ग्राम—खैरा पहाड़ी, पो०—दोस्तरियाँ, थाना—पुरनहिया, जिला—शिवहर, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं.बिहार—लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 14.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-4) Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Mukesh Kumar Jha, Bahujan Samaj Party**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Mukesh Kumar Jha** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Mukesh Kumar Jha** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Mukesh Kumar Jha** on 15th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Mukesh Kumar Jha**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Mukesh Kumar Jha** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Mukesh Kumar Jha, resident of Village-Khaira Pahari, PO-Dostiya, PS-Purnahiya, District-Sheohar, Bihar** and the contesting **Bahujan Samaj Party** candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 15.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नबी हुसैन, जो बिहार के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारत प्रभात पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नबी हुसैन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नबी हुसैन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री नबी हुसैन द्वारा 14 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं० 54/जि०नि०, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 72/जि०नि० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नबी हुसैन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नबी हुसैन निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले भारत प्रभात पार्टी अभ्यर्थी श्री नबी हुसैन, ग्राम—पो०—जलालपुर, थाना—मुराहरी, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार 843119 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं.बिहार—लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 15.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-4)Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Nabi Hussain, Bharat Prabhat Party**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Nabi Hussain**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Nabi Hussain**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Nabi Hussain**, on 14th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Nabi Hussain**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Nabi Hussain**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Nabi Hussain, resident of Village+PO-Jalapur, PS-Mushari, District-Muzaffarpur, Bihar-843119** and the contesting **Bharat Prabhat Party**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 16.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 04—शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिल कुमार तिवारी, जो बिहार के 04—शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनिल कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिल कुमार तिवारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अनिल कुमार तिवारी द्वारा 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 54/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 72/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिल कुमार तिवारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल कुमार तिवारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04—शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार तिवारी, ग्राम—पो0—दुलमा, थाना—मधुबन, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार—845414, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है

[फा. सं.बिहार—लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 16.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019 (Part-4)Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Anil Kumar Tiwari, Independent**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Anil Kumar Tiwari** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Anil Kumar Tiwari** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Anil Kumar Tiwari** on 15th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Anil Kumar Tiwari**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Anil Kumar Tiwari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Anil Kumar Tiwari, resident of Village+PO-Dulma, PS-Madhuban, District-Purvi Champaran, Bihar-845414** and the contesting **Independent**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 17.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय नन्दन पासवान, जो बिहार के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय नन्दन पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय नन्दन पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विजय नन्दन पासवान द्वारा 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 54/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 72/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय नन्दन पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विजय नन्दन पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री विजय नन्दन पासवान, ग्राम-मलकौनिया, पो0-पचपकड़ी बाजार, थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं.बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 17.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-4)Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Vijay Nandan Paswan, Independent**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Vijay Nandan Paswan** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Vijay Nandan Paswan** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Vijay Nandan Paswan** on 15th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Vijay Nandan Paswan** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Vijay Nandan Paswan** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Vijay Nandan Paswan, resident of Village-Malkauniya PO-Pachpakari Bazar, PS-Dhaka, District-Purvi Champaran, Bihar** and the contesting **Independent**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 18.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अबूल कलाम खॉ, जो बिहार के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अबूल कलाम खॉ, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अबूल कलाम खॉ, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अबूल कलाम खॉ, द्वारा 14 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 54/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 72/जिनिव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अबूल कलाम खॉ, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अबूल कलाम खॉ, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अबूल कलाम खॉ, ग्राम-तुर्की खरारू, पो0-थाना-मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत है ।

[फा. सं.बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 18.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-4)Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Abul Kalam Khan, Independent**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Abul Kalam Khan** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Abul Kalam Khan** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Abul Kalam Khan** on 14th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Abul Kalam Khan**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Abul Kalam Khan** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Abul Kalam Khan resident of Village-Turki Khararu, PS+PO-Minapur, District-Muzaffarpur, Bihar** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

आ.अ. 19.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-4)Sheohar-5841 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री केदारनाथ प्रसाद, जो बिहार के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री केदारनाथ प्रसाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 नवम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री केदारनाथ प्रसाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री केदारनाथ प्रसाद द्वारा 14 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 54/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 72/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री केदारनाथ प्रसाद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री केदारनाथ प्रसाद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री केदारनाथ प्रसाद, रामभजन बाजारं, गोला रोड़, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-842001 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं.बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/4/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2021

O.N. 19.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Sheohar** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-4)Sheohar-5841, dated 15th July, 2019, **Shri Kedar Nath Prasad, Independent**, contesting candidate from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **East Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th November, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Kedar Nath Prasad**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th November, 2019, **Shri Kedar Nath Prasad**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Kedar Nath Prasad**, on 14th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.54/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **East Champaran** vide his letter No.72/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Kedar Nath Prasad**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Kedar Nath Prasad**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Kedar Nath Prasad**, resident of **Ram Bhajan Bazar, Gola Road, District-Muzaffarpur, Bihar-842001** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **04-Sheohar** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/4/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

आ.अ. 20.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 2019 की निर्वाचन अर्जी संख्या 9 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 18 जनवरी, 2021 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

(संलग्न निर्णय के लिए अंग्रेजी देखें)

[सं. 82/उ0प्र0-लो0स0/9/2019(इला.)]

आदेश से,

पुष्पा एन. लकड़ा, सचिव

New Delhi, the 26th February 2021

O.N. 20.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18th January, 2021 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 9 of 2019.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ELECTION PETITION No. 9 of 2019

(Under Section 80/81 of Representation of the Peoples Act, 1951)

DISTRICT-AGRA.

Prempal Singh son of Mukundi Lal, Resident of Village Imaliya, Post Ummargarh Imaliya, Nagla Sikandar, District-Firozabad .

...Petitioner

Versus

1. Satyapal Singh Baghel, son of late Ram Bharose, R/O House no. 44 M.I.G, New Shahganj, Saket Colony, District- Agra.
2. Manoj Kumar Soni son of late Lala Ram Soni, Resident of House no. 26 T.P Nagar, Sikandara, Tehsil-Sadar, Police Station- Sikandara, District- Agra.
3. Chandrapal son of late Beniram, R/O B-505, Kamla Nagar, District- Agra.
4. Prita Harit, son of Anilkant, R/O K. 12, Block- K, Green Park Extension, New Delhi.
5. Km. Himanshi D/O Rajendra Prasad, R/O House no. 30/31 Phase-1, Laxmi Palace, Ram Vihar Colony, Devri Road, Agra.
6. Babu Lal son of Samanta Ram, R/O House no.66/31/1, Nagla Kheria, Jagner Road, District- Agra.
7. Raja son of Raj Kumar, R/O House no. 26/362, Bada Charan Singh, Nai Abadi, Gokulpura, Kansh Gate, Lohamandi, Agra.
8. Ambedkari Hasnu Ram Ambedkari son of Sri Harigyan Singh, R/O Village Ram Nagar, Majra Dulhe Khan, Post Rasoolpur, Kheragarh, Agra.
9. Ramji Lal Vidyarthi son of Sripal Vidyarthi, R/O 38/58A Idagah, Katghar, Police Station Rakabganj, District- Agra.

...Respondents

Court No. - 52

Case :- ELECTION PETITION No. - 9 of 2019

Petitioner :- Prempal Singh

Respondent :- Satyapal Singh Baghel And 8 Others

Counsel for Petitioner :- Awadhesh Tiwari, Parvez Iqbal Ansari

Counsel for Respondent :- Sushil Kumar Srivastava, Jayendra Kumar Mishra, Sharad Kumar

Hon'ble Om Prakash-VII, J.

Case called out.

Neither petitioner in person nor his counsel is present in the revised call.

Sri Sushil Kumar Srivastava, learned counsel for the respondent no. 1 and Sri Vijit Saxena, learned counsel for the respondent no. 2 are present.

This Election Petition is dismissed for want of prosecution.

Order Date:- 18.1.2021

Sd/-

Om Prakash-VII, J.

[F. No. 82/UP-HP/ 9 /2019(Alld.)]

By Order,

PUSHPA N. LAKRA, Secy.